भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1728

मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

गोवा में पीएमश्री एकता मॉल का निर्माण

1728. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गोवा के चिंबेल में कदंब पठार पर पीएमश्री एकता मॉल के विरोध की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिस क्षेत्र में जबरन मॉल का निर्माण किया जा रहा है, वह जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और ग्राम पंचायत की मौजूदा जैव विविधता प्रबंधन समिति ने इसका कड़ा विरोध किया है;

(ग) क्या सरकार को पास ही में स्थित ताजे पानी की झील और मॉल के लिए निर्धारित भूमि में जल भंडारों को हुए नुकसान की जानकारी है;

(घ) क्या सरकार जनजातीय क्षेत्र में जबरन बनाए जा रहे मॉल के संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकती है; और

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इससे पहले भी एक आईटी परियोजना को जनजातीय भूमि और जैव विविधता को होने वाले नुकसान के कारण रद्द कर दिया गया था?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) को गोवा में प्रधानमंत्री एकता मॉल के विरोध के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

पीएम एकता मॉल का उद्देश्य, 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) को बढ़ावा देते हुए 'मेक इन इंडिया' पहल को मजबूत करना है। यह पहल, कारीगरों और ग्रामीण विनिर्माताओं को अपने विशिष्ट उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने

और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम 2023-24 (एसएएससीआई)' के अनुसार, प्रत्येक राज्य में, प्रमुखत: उसकी राजधानी में, एक एकता मॉल स्थापित किया जाएगा। दिशा-निर्देशों में राज्य की वित्तीय राजधानी या उसके किसी प्रमुख पर्यटन केंद्र में एकता मॉल की स्थापना पर विचार करने का भी प्रावधान है। इस मॉल के लिए भूमि, राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है अथवा भूमि के अधिग्रहण की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

गोवा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, एकता मॉल की उक्त परियोजना, पर्यटन विभाग, गोवा सरकार द्वारा पर्यटन विभाग के स्वामित्व वाली भूमि में शुरू की जा रही है और यह जनजातीय भूमि नहीं है। इस संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से तकनीकी मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी आदेश, वृक्ष काटने के लिए वन अनुमति, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीएसपीसीबी), स्वास्थ्य आदि से सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हैं। उक्त परियोजना जैव विविधता क्षेत्र के हॉटस्पॉट में नहीं है। निकटतम अधिसूचित आर्द्रभूमि उक्त स्थान से 445 मीटर दूर और एक अलग जलग्रहण क्षेत्र में है। उक्त परियोजना ताजे पानी की किसी भी झील या उसके जलग्रहण क्षेत्र में जलभृतों (एक्विफर) को प्रभावित नहीं करेगी और कोई भी जल निकाय प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा, आईटी परियोजना को जनजातीय भूमि से संबंधित होने या जैव विविधता के नुकसान संबंधी चिंता के कारण रद्द नहीं किया गया है।

*****